न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 01/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
हीराराम गर्ग, पूर्व पटवारी, भैरूडी, तह0 चौहटन, हाल– सेवानिवृत कार्मिक।		जिला कलेक्टर,(भू0अ0) बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश कंमाक भू0अ0/वि0जॉ0/2006/2407 दिनांक 09.05.2006 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं निलम्बन काल में पूर्व में दिये गये निर्वाह भत्ते के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं करने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर आज उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः २८....जुलाई,2021

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.5.2006 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार दिनांक 5.4.2021 को उपस्थित हुए।

अपीलान्ट को दिनांक 27.07.2021 को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में राज्यसेवा से निवृत हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण निलम्बित किया गया तत्पश्चात नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित की गई। अपीलान्ट कार्मिक जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर के पत्रांक 5730 दिनांक 6.09.2004 के द्वारा कुल 03 आरोप आरोपित किये गये थे कि:––

आरोप पत्र संख्या–1

श्री हीराराम गर्ग वर्ष 2003 में पटवारी भैरूडी के पद पर पदस्थापन्न के दौरान अकाल राहत कार्यो के तहत 304874/– रूपये श्रमिको/असहाय व्यक्तियों/सम्बन्धित को भुगतान करने हेतु अग्रिम दिये गये थे। जिसका विवरण दर्शाया गया।

28/7/2021

डिविजनल कमिश्नर

श्री हीराराम को उक्त राशि अग्रिम दी जाकर निर्देश दिये गये थे कि इनका सम्बन्धित को भुगतान कर सात योग में लेखा समयोजन पेश करे। श्री हीराराम ने उक्त अग्रिम ली गई राशि का अत्यधिक विलम्ब से हिसाब प्रस्तुत किया जबकि श्री हीराराम का यह दायित्व था कि अग्रिम राशि सात योम के भीतर सम्बन्धित को भुगतान कर हिसाब प्रस्तुत करते। श्री राम ने मस्टररोल पर श्रमिकों को भुगतान करने की तिथी का अंकन नहीं किया। श्री हीराराम का उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने की श्रेणी में आता है। जो निन्दनीय है।

आरोप पत्र संख्या–2

श्री हीराराम गर्ग वर्ष 2003 में पटवारी भैरूडी के पद पर पदस्थापन्न के दौरान हरा चारा अनुदान व कृषि अनुदान हेतु किसानों को देने बाबत अग्रिम राशि दी गई थी परन्तु उक्त राशि रूपये 19000/– का भुगतान सम्बन्धित को नहीं कर विलम्ब से राशि वापस तहसील कार्यालय चौहटन में जमा करायी। श्री हीराराम का यह दायित्व था कि अग्रिम राशि प्राप्ति के सात योम के भीतर सम्बन्धित को भुगतान कर हिसाब प्रस्तुत करते। श्री हीराराम ने लम्बे सयम तक उक्त राशि अपने पास रखर दुरूपयोग किया एवं को भुगतान नहीं कर राशि वापस तहसील में जमा करायी। श्री हीराराम का उक्त भुगतान करने की पुष्टि निरीक्षक भू0अ0 सेडवा की तहसीलदार को सम्बोधित रिपोर्ट दिनांक 17.10.2003 से होती है। श्री हीराराम का उक्त कृत्य पद का दुरूपयोग कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने की श्रेणी में आता है जो निन्दनीय है।.

आरोप पत्र संख्या–3

श्री हीराराम गर्ग वर्ष 2003 में पटवारी भैरूडी के पद पर पदस्थापन्न के दौरान दिनांक 10.6.03, 15.6.03, 24.06.03, 15.7.03 को तहसील मुख्यालय चौहटन पर आयोजित बैठकों में उपस्थित नहीं हुए। उक्त बैठके अंकाल राहत कार्यो के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु आयोजित की गई थी। श्री हीराराम का यह दायितव था कि उक्त बैठकों में समय पर उपस्थित रहते। श्री हीराराम उक्त बैठकों में उपस्थित नहीं होने से जिला कार्यालय को प्रेषित की जाने सूचनाओं में विलम्ब हुआ। श्री हीराराम का जानबूझ कर उक्त बैठकों में उपस्थित नहीं होने का कृत्य कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने की श्रेणी में आता है जो निन्दनीय है।

4. अपीलान्ट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा जारी आरोप पत्रों का अपीलान्ट के द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत प्रकरण की विस्तृत विभागीय जॉच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (मु0) बाडमेर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.01..2006 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की उक्त जॉच रिपोर्ट में भी जॉच अधिकारी के द्वारा मुझ अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित होना मान लिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनने के उपरान्त आरोपित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं निलम्बन काल में पूर्व में दिये गये निर्वाह भत्ते के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं करने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपनी जॉच एकतरफा करते हुए रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित कर दी। जॉच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के द्वारा अपनी जॉच में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही

28/7/2021

डिविजनल कमिश्नर

अपीलान्ट को अपने बचाव में अभ्यावेदन व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जॉच की जानी चाहिये थी जो नियम विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। ऐसे में आरोपित आरोप से सम्बन्धित रेकर्ड के अभाव में अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

6. उपखण्ड अधिकारी द्वारा आरोप संख्या एक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट को दण्डित करने में भंयकर भूल कारित की है। सम्बन्धित मस्टररोल भी जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। अपीलान्ट के द्वारा अकाल राहत के तहत सम्बन्धित श्रमिकों/व्यक्तियों को समय पर भुगतान कर दिया गया था और भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित मस्टररोल तहसील कार्यालय में जमा करवा दिये थे।

7. इसी प्रकार आरोप संख्या दो के अपीलान्ट के खिलाफ गलत लगाया है जबकि अपीलान्ट की ओर से तहसील कार्यालय में स्पष्ट कहा था कि उक्त भुगतान किसको करना है, लेकिन तहसील कार्यालय से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे। निर्देश प्राप्त नहीं होने पर अपीलान्ट के द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि पुनः तहसील कार्यालय में जमा करवा दी थी। आरोप संख्या तीन में वर्णित कथन भी सरासर गलत है। अपीलान्ट को मिटिंग में उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस, सूचना के दस्तावेज न तो जॉच में व न ही जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये। मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध मानने में भूल की गई है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी जॉच अधिकारी की रिपोर्ट में अंकित साक्ष्यों व दस्तावेजों का न तो तर्क–वितर्क किया और न ही उसकों मानने व न मानने सम्बन्धी कोई कारण आदेश में अंकित किया गया था और न ही कोई विस्तृत विवेचन किया गया है जो निरस्त करने योग्य हैं।

8. अपीलान्ट को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और पत्रावली पर आये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी। अपीलान्ट ने अन्त में यह निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं दो वार्षिक वेतनवृद्धि बहाल करते हुए व निम्बलन काल के भत्तों के अलावा अन्य सम्पूर्ण राशि दिलाये जाने का आदेश करावें।

9. प्रत्युतर में उपस्थित विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश को विधि अनुसार पारित किये जाने का कथन किया एवं उसे उचित ठहराते हुए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ज्ञापन पत्र की दिनांक 9.9.2004 को प्रति अपीलान्ट को तामील करवाई गई। साथ ही कहा कि जॉच अधिकारी की जॉच के समय भी दिनांक 17.12.2005 एवं दिनांक 29.12.2005 को उपस्थित हुए थे परन्तु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अपना जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया। इसके पश्चात जॉच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध करवाते हुए उनसे प्रत्युतर चाहा परन्तु उनके

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

28/7/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया। अपीलान्ट को तहसील कार्यालय द्वारा दिनांक 21.5.2003 से दिनांक 28.6.2003 तक आरोप संख्या 1 में वर्णित राशि अग्रिम देकर सम्बन्धित श्रमिकों/असहाय व्यक्तियों को भुगतान करने के लिये निर्देशित किया था, अपीलान्ट ने विलम्ब से हिसाब प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त आरोप संख्या 2 में वर्णित राशि इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को भुगतान नहीं कर दिनाक 16.10.03 व 20.10.03 को पुनः तहसील कार्यालय में राशि को जमा करवा दी। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे।

10. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे प्रथमतः यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 09.05.2006 को उनके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 90 दिवस की म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त यह विभागीय अपील दिनांक 23.10.2020 को यानि लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जिसे अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु किसी प्रकार के कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जा सके।

11. अपीलान्ट एक जिम्मेदार कार्मिक यानि पटवारी जैसे महत्वपूर्ण एवं राजकीय विभागों की कडी माने जाने वाले पद पर पदस्थापित रहा है जिसे राजकीय रैकर्ड संधारण एवं राजकीय कार्यो का दायित्व रहता है, उसे अपने विरूद्ध पारित किये गये वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश की जानकारी इतने समय में नहीं होना, किसी भी स्टेज पर नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली से भी यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2006 को प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलान्ट की यह प्रस्तुत अपील पूर्णतः म्याद बाहर होने से स्वीकार नहीं की जा सकती।

12. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में दर्शाये गये अनुपस्थिति दिवसों को उपस्थित रहने सम्बन्धी कोई साक्ष्य भी संलग्न पेश नहीं किये है जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो। अपीलान्ट को जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2005 एवं दिनांक 29.12.2005 एवं जिला कलेक्टर द्वारा जनवरी, 2006 में तथा दिनांक 24.4.2006 को अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना भी स्पष्ट प्रतीत होता है। अपीलान्ट के द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने बाबत किये गये कथन असत्य प्रतीत होते है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
विभागीय आयुक्त
न्यायालय
जोधपुर